दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 18 सितंबर, 2024
उद्घोषित : 04 अक्टूबर, 2024

सि.वा.(वाणि.) सं. 160/2024 और अंतर आ. 4203/2024-स्थगित

कैस्ट्रोल लिमिटेड **.....वादी**

द्वारा: श्री उर्फी रूमी, सुश्री जानकी अरुण, श्री आयुष दीक्षित और सुश्री अनुजा चौधरी, अधिवक्तागण

बनाम

विपिन, ट्रेडिंग एज ऑल इन वन बिजनेस सॉल्यूशन्स और अन्य **.....प्रतिवादीगण**

द्वारा: श्री यश व्यक्तिगत रूप से प्रति.-2 की ओर से उपस्थित हुए

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ बनर्जी

निर्णय

संक्षिप्त तथ्य:

1. वर्तमान वाद के द्वारा वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ अपने व्यापार चिह्न और प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन, पासिंग ऑफ और हर्जाने के साथ-साथ प्रतिवादी सं. 1 विपिन, ऑल इन वन बिजनेस सॉल्यूशंस और प्रतिवादी सं. 2 यश कश्यप (इसके

बाद "प्रतिवादी" कहा जाएगा) के खिलाफ अन्य सहायक राहत के लिए स्थायी व्यादेश की डिक्री की मांग की है।

2. वादी, कैस्ट्रॉल लिमिटेड, बी.पी. (ब्रिटिश पेट्रोलियम) कंपनियों के समूह का एक हिस्सा, इंग्लैंड के कानूनों के तहत संगठित और विद्यमान कंपनी है, जिसका व्यवसायिक स्थान टेक्नोलॉजी सेंटर, व्हिटचर्च हिल, पैंगबौमे, रीडिंग, आर.जी.8 7क्यू.आर यूनाइटेड किंगडम में है। चिह्न (कैस्ट्रॉल) CASTROL/ / / वादी का प्रतिष्ठान चिह्न है। कैस्ट्रॉल चिह्न का उपयोग वादी द्वारा वर्ष 1909 से ही अपने माल के संबंध में विश्वव्यापी आधार पर किया जा रहा है, जिसमें इंजन तेल और स्नेहक और अन्य संबंधित सेवाएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

3. वादी ने अपने इंजन तेलों और स्नेहक के संबंध विश्वव्यापी आधार पर, शब्द चिह्न एक्टिव, 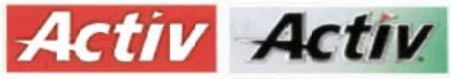, एक्टिबॉन्ड, और का भी उपयोग किया है, और उपयोग करना जारी रखा है। वादी ने 01.01.1911 से उपयोगकर्ता दावे के साथ 29.06.1942 को वर्ग 04 में "कैस्ट्रॉल" चिह्न रजिस्ट्रीकृत कराया। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा "कैस्ट्रॉल" चिह्न को एक प्रसिद्ध चिह्न घोषित किया गया है। वादी

ने रजिस्ट्रीकरण संख्या ए 76013/2006 के तहत लेबल/कलात्मक कार्य में प्रतिलिप्यधिकार पंजीकरण भी प्राप्त कर लिया है। पिछले तीन वर्षों में वादी का वार्षिक कारोबार क्रमशः 109,078 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 164,195 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 24,891 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है।

4. प्रतिवादी सं. 1 ऑल इन वन बिजनेस सॉल्यूशंस के रूप में कारोबार कर रहा है जिसका पता पहली मंजिल, दुकान सं. 58, खेरी रोड, नहर पार, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 है। प्रतिवादी सं.2-यश कश्यप का पता (1) पहली मंजिल, दुकान नं. 58, खीरी रोड, नहर पार, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 और (2) ब्लॉक-ए, वजीरपुर रोड, हनुमान नगर, सेक्टर 87, नहर पार, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 है।

<u>वादी का मामलाः</u>

5. वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रतिवादीगण इंजन तेल, स्नेहक आदि के निर्माण, विपणन और विक्रय में शामिल हैं, जिन पर प्रतिवादीगण के चिह्न हैं और इन वस्तुओं की पैकेजिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी अपने उत्पादों को ईंट-और-मोर्टार स्टोर के साथ-साथ तीसरे पक्ष की व्यापार सूची वेबसाइट,

इंडियामार्ट के माध्यम से प्रतिवादीगण के चिह्न और पैकेजिंग के साथ विक्रय के लिए भी पेश करते हैं।

6. वादी को प्रतिवादी सं. 1 के बारे में पहली बार जनवरी 2024 में पता चला, जब उसे 'सुपर कैस्ट्रॉल' चिह्न (जिसे आगे "आक्षेपित चिह्न" कहा जाएगा) के लिए आवेदन संख्या 5967114 मिला, जो "औद्योगिक तेल और ग्रीस, स्नेहक, धूल अवशोषक, गीला करने और बांधने वाली रचनाएं, ईंधन (मोटर स्पिरिट सहित) और प्रकाशक, मोमबत्तियाँ और प्रकाश के लिए बत्ती" के संबंध में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा "प्रस्तावित उपयोग के आधार पर" व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के वर्ग 4 में दायर किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा जारी जाँच रिपोर्ट में, वादी के रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न कैस्ट्रॉल को भी पहले से मौजूद चिह्न के रूप में उद्धृत किया गया था जो प्रतिवादीगण के प्रस्तावित चिह्न के समान था।

7. इसके बाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण की जांच और विस्तृत छानबीन से पता चला कि उन्होंने वादी के समान भ्रामक रूप से एकसमान पैकेजिंग में आक्षेपित चिह्न का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इसका सचित्र निरुपण निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

वादी	प्रतिवादी
CASTROL	SUPER CASTROL
ACTIV	ACTIV
ACTIBOND	ACTIBOND

<u>इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाहीः</u>

8. इसने वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए वर्तमान वाद के द्वारा इस न्यायालय का रुख करने के लिए प्रेरित कियाः-

> *"क. प्रतिवादीगण, तथा किसी भी अन्य व्यक्ति, अधिकारी, प्रबंधक, कर्मचारी, एजेंट, डीलर, लाइसेंसधारी, कंपनी, खुदरा विक्रेता, या किसी भी*

अन्य व्यक्ति/संस्था को जो प्रतिवादियों से संबंधित या संबद्ध हैं, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, जैसा भी मामला हो, और अन्य सभी जो प्रतिवादीगण की ओर से या उसके लिए, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं, को प्रतिवादीगण के चिह्नों और पैकेजिंग वाले इंजन तेल, शीतलक, गियर तेल और स्नेहक और/या समान/संबंधित/संबद्ध/समान वस्तुओं के निर्माण, बिक्री के लिए पेशकश, बिक्री, प्रदर्शन, विज्ञापन, विपणन, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और चाहे इंटरनेट पर या अन्यथा, पर रोक लगाने के लिए स्थायी व्यादेश का आदेश, जिसमें सुपर कैस्ट्रॉल, एक्टिव, एक्टिबॉन्ड

,

,

,

,

और/या

,

शामिल हैं, और चिह्न या पैकेजिंग जो वादी के चिह्नों, नाम और पैकेजिंग के लगभग समान/समान हैं (जैसा कि उप-पैराग्राफ 4क, 4ख और 4ग में परिभाषित किया गया है);

ख. प्रतिवादी, और किसी भी अन्य व्यक्ति, अधिकारी, प्रबंधक, कर्मचारी, एजेंट, डीलर, लाइसेंसधारी, कंपनी, खुदरा विक्रेता, या किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था जो प्रतिवादी से संबंधित या संबद्ध हैं, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, जैसा भी मामला हो, और अन्य सभी, जो प्रतिवादी के लिए और उनकी ओर से कार्य कर रहे हैं, को कोई भी ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए एक स्थायी व्यादेश का आदेश जो वादी के रजिस्ट्रीकृत चिह्नों

(जैसा कि पैराग्राफ 28 में विस्तृत है) के व्यापार चिह्न उल्लंघन के बराबर है;

ग. प्रतिवादी, और किसी अन्य व्यक्ति, अधिकारी, प्रबंधकों को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा आदेश, कर्मचारी, अभिकर्ता, विक्रेता, लाइसेंसधारी, कंपनी, खुदरा विक्रेता, या कोई अन्य व्यक्ति/संस्था जो प्रतिवादी से संबंधित या संबद्ध हैं, जैसा भी मामला हो, और अन्य सभी, जो प्रतिवादी के लिए और उसकी ओर से कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो वादी के चिह्न और वादी के पैकेजिंग (जैसा कि पैराग्राफ 4क, 4ख और 4ग में परिभाषित किया गया है) में प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन करने के बराबर है।

घ. कंपनियाँ, खुदरा विक्रेता, या कोई अन्य व्यक्ति/संस्थाएँ जो प्रतिवादीगण से संबंधित या संबद्ध हैं और अन्य सभी, जो प्रतिवादीगण के लिए और उनकी ओर से कार्य कर रहे हैं, अपने इंजन तेल और स्नेहक और/या समान/संबंधित/संबद्ध/संबंधित सामानों को जो प्रतिवादीगण के चिह्न और/या प्रतिवादीगण के पैकेजिंग को वादी के रूप में दर्शाते हैं या जो वादी के चिह्न और/या वादी के पैकेजिंग के साथ संबंध या संबंध का सुझाव दे सकते हैं;

ङ. प्रतिवादीगण द्वारा सभी इंजन तेल और स्नेहक और इसी तरह के/संबंधित/संबद्ध/सजातीय सामान, पैकेजिंग, लेबल, प्रचार और विज्ञापन सामग्री, मूल्य टिकट, लेखन सामग्री, विवरणिका और कोई अन्य सामग्री जो प्रतिवादीगण के चिह्न और/या प्रतिवादीगण के पैकेजिंग और/या प्रतिवादीगण के पैकेजिंग और/या चिह्न और/या पैकेजिंग को शामिल करती है जो वादी के चिह्न और/या वादी पैकेजिंग के साथ-साथ किसी भी प्लेट, साँचा के लगभग समान/भ्रामक रूप से समान हैं, प्रतिवादीगण, उनकी

सहायक कंपनियों या प्रतिवादीगण से संबंधित या उनके नियंत्रण में रहने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं, या किसी विक्रेता, वितरक, खुदरा विक्रेता या प्रतिवादीगण के सहयोगी के कब्जे में प्रतिवादीगण के पैकेजिंग की प्रतियों को छापने या पुनः पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने वाले हस्तांतरण, नकारात्मक, प्रतिकृति उपकरण या अन्य उपकरण को वापस बुलाने और सौंपना के लिए अनिवार्य व्यादेश का आदेश;

च. प्रतिवादीगण द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से शिकायत की गई गतिविधियों से अर्जित लाभ का हिसाब डिक्री और वादी के पक्ष में पारित की गई राशि के लिए डिक्री प्रस्तुत करना। वादी ऐसी न्यायालय फीस दाखिल करने का वचन देता है, जिसकी इस माननीय न्यायालय द्वारा भविष्य में किसी भी समय आवश्यकता हो सकती है;

छ. प्रतिवादी संख्या 1 को सुपर कैस्ट्रॉल चिह्न के लिए व्यापार चिह्न आवेदन संख्या 5967114 को वापस लेने/रद्द करने का निर्देश देने वाला आदेश, और किसी भी अन्य आवेदन(नों) में प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के चिह्नों, प्रतिवादीगण के चिह्नों को शामिल करने वाले चिह्नों और वादी के चिह्नों, नाम और पैकेजिंग के समान/समान चिह्नों के लिए दायर किए गए/स्वामित्व वाले किसी भी अन्य आवेदन को वापस लेने/रद्द करने का निर्देश देने वाला आदेश;

ज. वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकथनों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए वादी के एक्टिव डिवाइस चिह्न

, को सुप्रसिद्ध घोषित करने वाला आदेश।

झ. 20,000,500/- रुपये की राशि में या ऐसी अधिक राशि नुकसान के भुगतान के लिए वादी के पक्ष में अंतिम धन डिक्री जो हिसाब देने के अनुसार निर्धारित/निर्धारित की जा सकती है;

ञ. कार्यवाही की जुर्माने के लिए आदेश;''

9. इस न्यायालय ने वर्तमान वाद में 22.02.2024 को समन जारी किया जब इसे पहली बार सूचीबद्ध किया गया था और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे **"सि.प्र.सं."** कहा जाएगा) के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत संलग्न आवेदन में उसी दिन निम्नानुसार एक पक्षीय अंतरिम व्यादेश पारित की:-

"तदनुसार, सुनवाई की अगली तारीख तक, प्रतिवादीगण और उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को विनिर्माण, विक्रय की पेशकश, विक्रय, प्रदर्शन, विज्ञापन, विपणन, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इंजन तेल, शीतलक, गियर तेल की पेशकश करने से प्रतिबंधित किया जाता है। और स्नेहक और/या इसी तरह के/संबंधित/संबद्ध/संज्ञानात्मक सामान जिन पर "सुपर कैस्ट्रॉल" है...''

10. इसके अतिरिक्त, 22.02.2024 के उसी आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने प्रतिवादी सं.1 और 2 दोनों के परिसरों में आक्षेपित सामान की तलाशी और जब्ती करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त को भी नियुक्त किया।

11. स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यभार के निष्पादन के दौरान, प्रतिवादीगण के परिसर में 4 बिल पुस्तकों के साथ-साथ आक्षेपित चिह्न वाली 99 बोतलें बरामद की गईं।

12. इसके बाद, हालांकि दोनों प्रतिवादीगण को विधिवत 15.03.2024 को तामील किया गया और वर्तमान वाद 18.09.2024 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध होने से पहले 25.04.2024, 10.07.2024, 22.07.2024, 02.08.2024 और 21.08.2024 को सूचीबद्ध किया गया था, प्रतिवादी संख्या 1 ने 15.03.2024 को तामील के बावजूद उक्त तिथियों में से किसी पर भी उपस्थित होने का विकल्प नहीं चुना है। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 पर एकतरफा कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने भी निर्धारित अनिवार्य समयावधि के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल नहीं करने का विकल्प चुना है, जो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का लिखित बयान दायर करने का अधिकार समाप्त हो गया है।

13. दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 2, हालांकि 25.04.2024 के बाद से इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहा है, लेकिन उसने भी निर्धारित अनिवार्य समयावधि के भीतर लिखित बयान दाखिल नहीं करने का भी फैसला किया है, जो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 का लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार भी समाप्त हो गया है। वास्तव में,

उक्त प्रतिवादी संख्या 2 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किया कि वह वर्तमान मामले को चुनौती नहीं देना चाहता है और वादपत्र की प्रार्थना (क) से (घ) के अनुसार डिक्री भुगतने को तैयार है।

14. इन परिस्थितियों में, वादी के विद्वान अधिवक्ता, ***कैस्ट्रॉल लिमिटेड बनाम राजेश कुमार टुटेजा कृष्णा इंटरनेशनल के रूप में व्यापार करते हैं और अन्य*** 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 1107 पर भरोसा करते हुए, दोनों प्रतिवादीगण के खिलाफ सि.प्र.सं. के आदेश VIII नियम 10 के तहत डिक्री के बाद निर्णय की उद्घोषणा के लिए प्रार्थना किया है।

15. इस न्यायालय ने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और साथ ही अभिवाक और अभिलेख पर दस्तावेजों के साथ-साथ स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट को भी देखा है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

16. वादी सुस्थापित रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न, कैस्ट्रोल (CASTROL)/ / / , एक्टिव (ACTIV), , एक्टिबॉन्ड (ACTIBOND)

और और उसके व्युत्पन्नों का स्वामी है, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है। वादी के उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अद्वितीय, भिन्न और अपने आप में विशिष्ट हैं क्योंकि ऐसा कोई अन्य नहीं हैं। वादी, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के अपने लंबे निरंतर और निर्बाध व्यापक उपयोग के द्वारा, भारत सहित दुनिया भर में अपनी उपस्थिति बनाने में सक्षम रहा है। वादी के रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न कैस्ट्रोल (CASTROL)/ / / ,एक्टिव (ACTIV), , एक्टिबॉन्ड (ACTIBOND) और और उनके व्युत्पन्नों के साथ प्रसिद्धि, ख्याति और साख जुड़ी हुई है। भारत के लोग वादी और उसके रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के बारे में बहुत परिचित हैं, जो एक दूसरे के पर्याय हैं। कैस्ट्रोल (CASTROL)/

/ / ,एक्टिव (ACTIV),

, एक्टिबॉन्ड (ACTIBOND)

और और या

उनके व्युत्पन्न चिह्नों के तहत किसी भी इंजन तेल और स्नेहक तथा अन्य संबंधित उत्पादों को केवल वादी के चिह्नों के साथ पहचाना और गिना जाता है।

17. इसलिए, प्रतिवादीगण जैसे किसी के लिए भी इसे अपनाने और/या उपयोग शुरू करने का कोई अवसर नहीं था, और वह भी उन्हीं उत्पादों के लिए। ऊपर का सचित्र चित्रण इस बात की पुष्टि करता है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रतिवादीगण ने वादी के रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न और उनकी प्रसिद्धि, साख और ख्याति का लाभ उठाने के एकमात्र कारण से आक्षेपित चिह्नों को अपनाया और उसका उपयोग करना शुरू किया।

18. इस स्थिति को देखते हुए कि यह न्यायालय वादपत्र में वादी द्वारा बताए गए निर्विवाद तथ्यों और विवरणों पर विचार कर रहा है क्योंकि दोनों प्रतिवादीगण ने विधिवत तामील किए जाने के बावजूद इस न्यायालय के समक्ष अपना लिखित कथन(नों) दाखिल नहीं किया है। इसलिए, वादी द्वारा की गई अभिवाक निर्विवाद,

निर्विरोध, अखंडित हैं और इस प्रकार दोनों प्रतिवादीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई हैं। इस प्रकार, सभी उद्देश्यों के लिए इसमें दी गई अभिवाकों को उनके द्वारा स्वीकार किया गया माना गया है। इसके अलावा, उक्त प्रतिवादीगण में से कोई भी ऐसा बचाव/मामला पेश करने में सक्षम नहीं है जो किसी भी तरह से इसके विपरीत हो।

19. इसके अलावा, एक ओर प्रतिवादी संख्या 1 ने भी जानबूझकर अनुपस्थित रहने का विकल्प चुना है और दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 ने भी वादी द्वारा निर्धारित मामले को स्वीकार करने और वादपत्र के अनुरोध (क) से (घ) के अनुसार डिक्री को भुगतने का विकल्प चुना है।

20. नतीजतन, ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को वादपत्र में वादी द्वारा मांगी गई प्रार्थनाओं के संदर्भ में डिक्री देने में कोई बाधा नहीं है।

<u>निष्कर्ष:</u>

21. तदनुसार, प्रतिवादीगण, और कोई भी अन्य व्यक्ति, अधिकारी, प्रबंधक, कर्मचारी, एजेंट, डीलर, लाइसेंसधारी, कंपनियां, खुदरा विक्रेता, या कोई भी अन्य व्यक्ति/संस्था जो प्रतिवादीगण से संबंधित या संबद्ध हैं, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, जैसा भी मामला हो, और अन्य सभी, प्रतिवादीगण की ओर से व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए, इंजन तेल, शीतलक, गियर तेल और स्नेहक और/या समान/संबंधित/संबद्ध/समान वस्तुओं के विनिर्माण,

विक्रय के लिए पेशकश, विक्रय, प्रदर्शन, विज्ञापन, विपणन से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और चाहे इंटरनेट पर या अन्यथा, स्थायी रूप से प्रतिबंधित किए जाते हैं, प्रतिलिप्यधिकार, अर्थात, वादी के चिह्न या उसके प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन या उसके समान, जिसमें सुपर कैस्ट्रोल, एक्टिव, एक्टिबॉन्ड , , , और/या किसी भी तरह से शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को सुपर कैस्ट्रॉल चिह्न के लिए व्यापार चिह्न आवेदन संख्या 5967114 को वापस लेने का निर्देश दिया जाता है तथा कोई अन्य आवेदन जिसमें ऐसे चिह्न शामिल हों जो वादी के चिह्न, नाम और पैकेजिंग के समान/समरूप हों, को वर्तमान निर्णय के पारित होने की तिथि से *छह समाह* की अवधि के भीतर वापस लिया जाना चाहिए।

22. नुकसान और जुर्माना से संबंधित वादपत्र की प्रार्थना (झ) और (ञ), यह देखते हुए कि वर्तमान वाद संस्थापन प्रतिवादीगण के दुर्भावनापूर्ण कार्यों पर आधारित है, जिन्होंने वादपत्र के अनुसार, वादी के रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न कैस्ट्रॉल /

/ / और

उसके व्युत्पन्नों की हर तरह से स्पष्ट रूप से नकल की है, और जिसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकार किया गया है, और जिसे स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट द्वारा भी समर्थित किया गया है, वादी को इस न्यायालय का रुख करने के लिए मजबूर किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वादी को अनुचित मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण न केवल उसे नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि वित्तीय व्यय और वास्तविक जुर्माना भी भरना पड़ा है।

23. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वादी ने अपने अटर्नी श्री हर्षित गुप्ता द्वारा जुर्माने का शपथ-पत्र फ़ाइल किया है, कि उसने इस न्यायालय की सुविचारित राय में कुल 95,346/- रूपये की वास्तविक जुर्माना अदा किया है, वादी कुल मिलाकर **10,09,000/-** {3,00,000/- रुपये क्षति के लिए और 7,09,000/- रुपये जुर्माना के लिए (दस लाख नौ हजार रुपये मात्र) रुपये की राशि का हकदार है [1,99,000/- रुपये न्यायालय फीस के लिए भुगतान की गई + 1,10,000/- रुपये स्थानीय आयुक्तों की फीस के लिए भुगतान की गई + रु. 1,10,000/- रूपये स्थानीय आयुक्तों की फीस के लिए भुगतान की गई + 2,00,000/- रूपये टोकन विधिक फीस के लिए भुगतान की गई + 1,00,000/- रूपये टोकन जुर्माना के लिए भुगतान की गई + 1,00,000/- रूपये टोकन विशेष जुर्माना के लिए

भुगतान की गई], आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी सं.1 और 2 दोनों द्वारा समान रूप से भुगतान किया जाना है। यदि उपरोक्त राशि का भुगतान उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो वादी उपरोक्त राशि की प्राप्ति तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का दावा करने का भी हकदार होगा।

24. प्रार्थना (ङ) के अनुसार, वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह स्थानीय आयुक्त द्वारा 25.02.2024 को जब्त किए गए सभी सामान को बरामद करे और प्रतिवादीगण को पूर्व सूचना के साथ छह सप्ताह की अवधि के भीतर सुपरदारी पर रिहा कर दे। शेष प्रार्थनाओं के संबंध में, चूंकि उनके संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए उन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

25. इस प्रकार, वर्तमान वाद उपरोक्त के अनुसार डिक्रीत किया जाता है।

26. तदनुसार डिक्री शीट तैयार की जाए।

सौरभ बनर्जी, न्या.

04 अक्टूबर, 2024/आर.आर.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*